नईदुनिया

सोने की चमक में छिपा रेनियम का अंधेरा

आपके लॉकर में कितना खरा है सोना...?

5000 रुपये का पाउडर और लाखों की लूट। सोना भारत में सिर्फ आभूषण नहीं, बल्कि सुरक्षा, संस्कार और संपत्ति का प्रतीक माना जाता है, लेकिन इसी विश्वास पर अब सबसे बड़ा हमला हुआ है। चीन से आयात हो रहे एक सफेद पाउडर ने ज्वेलरी बाजार में हड़कंप मचा दिया है। इसका नाम है रेनियम पाउडर।

जानकारी के अनुसार, चीन से यह पाउडर मात्र 5000 रुपये में 20 ग्राम की दर से बड़ी मात्रा में मंगाया जा रहा है। खेल इतना शातिर है कि 18 कैरेट के सोने में इस पाउडर को मिलाते ही वह 22 कैरेट का हो जाता है। हैरानी की बात यह है कि हॉलमार्किंग की मशीन भी इस मिलावट को पकड़ नहीं पा रही है।



जानकारी के अनुसार, चीन से यह पाउडर मात्र 5000 रुपये में 20 ग्राम की दर से बड़ी मात्रा में मंगाया जा रहा है। खेल इतना शातिर है कि 18 कैरेट के सोने में इस पाउडर को मिलाते ही वह 22 कैरेट का हो जाता है।

रेनियम ही क्यों, विज्ञान के पीछे का अपराध-मिलावट का पुराना तरीका टंगस्टन या इरिडियम मिलाना था। टंगस्टन पकड़ा जाता था क्योंकि उसकी जांच आसान थी और इरिडियम बहुत महंगा पड़ता था। मिलावटखोरों ने अब रेनियम को खोज निकाला है।

इसका कारण है इसका घनत्व। सोने का घनत्व 19.3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है, जबकि रेनियम का घनत्व 21.02 ग्राम है। दोनों का वजन लगभग एक जैसा होने के कारण पानी में वजन लेकर शुद्धता जांचने की पारंपरिक विधि भी फेल हो जाती है। एक ग्राम रेनियम मिलाकर मिलावटखोर एक ग्राम सोने की चोरी करते हैं, यानी प्रति ग्राम लगभग एक लाख रुपये का सीधा मुनाफा।

हॉलमार्किंग सिस्टम कैसे हो रहा है फेल-देश में 90 प्रतिशत ज्वेलर्स जिस मशीन से सोना जांचते हैं, उसका नाम है एक्स-रे फ्लोरेसेंस (XRF) मशीन। यह मशीन केवल आभूषण की ऊपरी सतह यानी 10 से 15 माइक्रोन की गहराई तक ही जांच करती है। अपराध का तरीका यह है कि रेनियम पाउडर को पिघलाकर सोने के अंदर मिलाया जाता है। ऊपर शुद्ध सोने की परत रहती है, जिसे मशीन असली सोना बता देती है। अंदर का रेनियम कभी सामने ही नहीं आता। इसे पकड़ने का एकमात्र वैज्ञानिक तरीका है फायर एसे टेस्ट, जिसमें सोने को 1100 डिग्री पर पूरी तरह पिघलाकर जांचा जाता है। लेकिन यह टेस्ट महंगा है, इसमें सोना थोड़ा नष्ट होता है और हर ग्राहक के लिए संभव नहीं है। इसी कमजोरी का फायदा उठाया जा रहा है।

आम ग्राहक क्या करे, असली और नकली में अंतर के पांच गंभीर उपाय-यह लड़ाई केवल सरकार की नहीं, आपकी भी है। सोना खरीदते समय इन बातों को अनिवार्य रूप से अपनाएं। आज बिना छह अंकों के हॉलमार्क यूनिक आईडी (HUID) नंबर के सोना बेचना गैरकानूनी है। दुकानदार से जरूर लें और वेरिफाई करें। ज्वेलर का नाम, कैरेट और वजन सब दिखेगा। HUID न देने वाला ज्वेलर सबसे बड़ा संदिग्ध है।

बिल पर लिखित गारंटी लें। केवल कैश मेमो नहीं, पक्के बिल पर शुद्धता (उदाहरण के लिए 22K/916), वजन और वापसी की शर्तें दर्ज हों। मौखिक गारंटी का कोई मूल्य नहीं है। चुंबक और रंग परीक्षण करें। शुद्ध सोना कभी चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होता। रेनियम में हल्की चुंबकीय प्रवृत्ति होती है। एक शक्तिशाली चुंबक से जांच करें। 22 कैरेट का रंग गहरा राजसी पीला होता है, जबकि रेनियम मिला सोना थोड़ा पीला-सफेद और बेजान दिखता है।

ध्वनि और कसौटी परीक्षण भी मददगार हो सकते हैं। शुद्ध सोना पत्थर पर गिरने पर ठोस, दबी हुई आवाज करता है, जबकि मिलावटी सोना अधिक खनकेगा। पुराने सुनारों की कसौटी पर घिसने पर असली सोना अंदर तक एक जैसा पीला निशान छोड़ता है, जबकि मिलावटी सोने में घिसने पर सफेद धारियां दिख सकती हैं।

दोबारा जांच की आदत डालें। सोना खरीदने के बाद 200-300 रुपये खर्च करके किसी मान्यता प्राप्त हॉलमार्किंग सेंटर में जाकर दोबारा जांच कराएं। यह आपके लाखों के निवेश का बीमा है।

यह जन-जागरण क्यों जरूरी है-यदि यह मिलावट नहीं रुकी तो दो बड़े नुकसान होंगे। आम जनता का ज्वेलरी सेक्टर से विश्वास उठ जाएगा। जब आप अपना यही मिलावटी सोना बेचने जाएंगे, तो ईमानदार ज्वेलर भी उसे खोटा बताकर आधे दाम पर लेगा। नुकसान अंतत: आपका ही होगा।

सरकार को चीन से आ रहे रेनियम पाउडर के आयात पर कस्टम में कड़ी निगरानी रखनी होगी। इसे औद्योगिक उपयोग के नाम पर मंगाया जा रहा है। बीआईएस को भी अपनी जांच तकनीक को आगे ले जाकर अल्ट्रासोनिक और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी टेस्ट अनिवार्य करना होगा।

चमक देखकर मत लीजिए-सोना खरीदना उत्सव है, लेकिन अब सतर्कता का भी समय है। सस्ते सोने के लालच में न पड़ें। याद रखिए, बाजार में सोने का भाव एक जैसा होता है। यदि कोई बाजार से 5-10 हजार रुपये सस्ता सोना दे रहा है, तो वह सोना नहीं, रेनियम बेच रहा है। अपनी मेहनत की कमाई को सुरक्षित रखिए। जागरूक ग्राहक ही मिलावटखोरों के इस नए खेल को खत्म कर सकता है।

(नईदुनिया संपादकीय डेस्क)

सर्द हवाओं में घुलता जहर और शोर का आतंक ...

डॉ. विश्वास तिवारी



आम तौर पर हवा के प्रदूषित होने की शुरूआत पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और पश्चिमी उत्तरप्रदेश में पराली जलाने से शुरू होती है, फिर उसमें वायु प्रदूषण के अन्य कारण भी जुड़ जाते है, जैसे वाहनों से होने वाले उत्सर्जन, सड़कों, फ्लाई ओवर, इमारतों एवं निर्माण स्थल से उड़ने वाली धूल, औद्योगिक प्रदूषण आदि। जब दीवाली पर बड़ी संख्या पर पटाखे चलते है तो यह प्रदूषण ज्यादा बढ़ जाता है।

हर वर्ष ठंड के मौसम में और खासकर दीपावली के समय देश की राजधानी नई दिल्ली गैस चैंबर बन जाती है। बढ़ते प्रदूषण की वजह से 9 नवंबर को दिल्ली की हवा की गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में पहुंच गई। इसी वजह से 'हेल्थ इमरजेसी' की स्थिति पैदा हो गई। स्कूल बंद कर दिए गए और लोगों को घरों के अंदर रहने की सलाह दी गई। अस्पताल में हजारों मरीज सांस से जुड़ी बीमारियों ने इलाज के लिए आ रहे है। यह सब दुनिया की सबसे प्रदूषित हवाओं में से एक में सांस लेने की वजह से हो रहा है। आम तौर पर हवा के प्रदूषित होने की शुरूआत पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और पश्चिमी उत्तरप्रदेश में पराली जलाने से शुरू होती है, फिर उसमें वायु प्रदूषण के अन्य कारण भी जुड़ जाते है, जैसे वाहनों से होने वाले उत्सर्जन, सड़कों, फ्लाई ओवर, इमारतों एवं निर्माण स्थल से उड़ने वाली धूल, औद्योगिक प्रदूषण आदि। जब दीवाली पर बड़ी संख्या पर पटाखे चलते है तो यह प्रदूषण ज्यादा बढ़ जाता है। सुप्रीम कोर्ट की फटकार और कड़े निर्देशों के बावजूद पटाखों का चलन न तो कम हो रहा है और ना ही ग्रीन पटाखों का उपयोग बढ़ रहा है। यह भी सही है कि केवल पटाखें वायु प्रदूषण के लिए जिम्मेदार नहीं है, परंतु यह वायु के साथ-साथ ध्वनि प्रदूषण को भी बढ़ाते है। इस बात से सभी लोग अवगत भी है, लेकिन फिर भी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते है। यह केवल दिल्ली तक ही सीमित नहीं है, पूरे उत्तर भारत के शहरों में वायु प्रदूषण सेहत पर भारी पड़ रहा है। त्यौहारों के समय भारी ट्रैफिक जाम भी इस समस्या का एक प्रमुख कारण है। यह एक त्रासदी ही है कि जब लोग सबसे बड़ा उत्सव की तैयारी करते है, तब ट्रैफिक जाम इसमें एक बड़ी रूकावट बनती है। दीपावली गरीबों को रोजगार का एक अवसर देता है, परंतु जाम, अतिक्रमण के कारण न केवल उनका समय खराब होता है, बल्कि उन्हें घातक प्रदूषण से भी जूझना पड़ता है। एयर क्वालिटी इंडेक्स (एआईक्यू) हवा में पीएम स्तर को नापता है। पीएम छोटे-छोटे कण होते है जो फेफड़ों में घुसकर रूकावट डाल सकते है और कई बीमारियों की वजह बन सकते है। ये सांस के जरिए शरीर की गहराई तक पहुंच सकते है। यह फेफड़ों और खून के प्रवाह को प्रभावित कर सकते है। इससे अस्थमा, हृदय रोग की समस्या बढ़ सकती है। इससे सीने और आंखों में जलन और एलर्जी जैसी समस्याएं भी हो सकती है। कुछ विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि वायु प्रदूषण हृदय संबधी बीमारियों का सबसे बड़ा कारण होता है। इससे दिल का दौरा पड़ सकता है, धड़कने अनियमित हो सकती है, स्ट्रोक और हार्टफेल की संभावनाएं भी बढ़ जाती है। लंबे समय तक 2.5 पीएम के संपर्क में रहने से खराब कोलेस्ट्रॉल (एलडीएल) और ट्राईग्लिसराइड दोनों बढ़ सकते है जिससे खून गाढ़ा हो जाता है। ऐसे में दिल को इसे पंप करने में कठिनाई होती है और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। पीएम 2.5 आसानी से रक्त वाहिकाओं में प्रवेश कर सकता है, उसमें सूजन पैदा करता है, कमजोर करता है और नुकसान भी पहुंचा सकता है। इससे दिल का दौरा पड़ने की संभावना बढ़ जाती है। एलर्जी होने की वजह से श्वसन नली भी सिकुड़ जाती है जिससे सांस लेने में दिक्कत होती है और शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। हृदय का काम शरीर के विभिन्न अंगों को खून के जरिए ऑक्सीजन पहुंचाना है। जब ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो हृदय को ज्यादा काम करना पड़ेगा। लोग अगर पहले से ही दिल के मरीज है तो उनमें हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाएगा। वायु प्रदूषण का संकट तेजी से उत्पादकता को भी प्रभावित कर रहा है। डालबर्ग एडवाइजर्स और क्लीन एयर फंड की रिपोर्ट के अनुसार वायु प्रदूषण को 20 प्रतिशत तक कम करने से भारत को 2030 तक सालाना होने वाले लगभग 8 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक नुकसान से बचने में मदद मिल सकती है। प्रदूषित हवा का असर केवल अस्पतालों के बिलों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सीधे तौर पर जीडीपी और कंपनियों की बैलेंस शीट को भी प्रभावित कर रहा है। सबसे बड़ी कीमत अस्वस्थ्य होने के बावजूद काम पर आने से चुकाई जा रही है। जब कोई भी कर्मचारी खांसी, सिरदर्द, आंखों में जलन या थकान के साथ ऑफिस आते है, तो वह अपनी क्षमता से कम काम कर पाते है। ऐसे में उनकी उत्पादकता की यह छोटी सी गिरावट भी बड़े नुकसान में बदल जाती है। प्रदूषण से होने वाली बीमारियों से कर्मचारी ज्यादा छुट्टियां लेने पर मजबूर हो जाते है। ऐसे में कंपनियों को इनडोर एयर क्वालिटी सुधारने के लिए बड़े कदम उठाने होंगे। सन 2024 में वायु प्रदूषण के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था को लगभग 24.49 लाख करोड़ का नुकसान हुआ था, जो देश की जीडीपी का लगभग 6 प्रतिशत है। जहरीली हवा के कारण लोग यात्रा करने और बाहर खाने से भी बचते है। पर्यटन क्षेत्र और होटलों को 2024 में लगभग 7 लाख करोड़ का नुकसान हुआ था।

वायु प्रदूषण को कम करने के लिए शहरों के अंदर ऑक्सीजन पाकेट बहुत जरूरी है। जैसे भोपाल में भेल, चार इमली और 74 बंगलों में स्थित पार्कों और घर में लगे हुए पेड़ है। अब हमारे योजनाकारों ने चार इमली और 74 बंगलों को तोड़कर वहां हाई-राइज इमारतें बनाने की योजनाएं बनाई है। पहले ही स्मार्ट सिटी, फ्लाई ओवर और मेट्रों के नाम पर हजारों पुराने पेड़ काटे जा चुके है। ऐसे में अगर इस योजना का क्रियान्वय किया गया तो जिस भोपाल को तालाबों और हरियाली के कारण रहने के लिए स्वर्ग कहा जाता है, हम उसे बर्बाद कर देगें। हरियाली के कम होने से गर्मियों में तापमान तेजी से बढ़ेगा और प्रदूषण से लोगों की स्वास्थ्य समस्याएं भी बढ़ेगी। भोपाल वैसे भी चट्टानों पर बसा शहर है और यहां पेड़-पौधे धीमी गति से बढ़ते है। नए पौधे लगाना स्वागत योग्य है, लेकिन पुराने और हरे-भरे वृक्षों को विकास की कीमत पर काटना आत्मघाती कदम है। अगर हमें शहर की सुंदरता को बरकरार रखना है तो सरकार और आम जनता को सोच समझकर विकास की राह पर चलना होगा, नहीं तो आने वाली पीढ़ी हमें कभी माफ नहीं करेगी।

त्रिकोणीय शिखर पर शांति का छलावा परमाणु जोखिम पर संवाद, युद्धों पर मौन

किलिन विला में 90 मिनट का इतिहास, पर घोषणा में न यूक्रेन, न ईरान 7 83 वर्ष बाद लौटा त्रिकोण, तेहरान से शेनझेन तक महाशक्तियों का चक्र । विश्व इतिहास में कुछ तस्वीरें अपने आप में युग का प्रतीक बन जाती हैं। द्वितीय विश्वयुद्ध के बीच 1943 में तेहरान में रूजवेल्ट, चर्चिल और स्टालिन की बैठक ऐसी ही तस्वीर थी। तब दुनिया के भविष्य का बंटवारा तय हुआ था। अब 83 वर्ष बाद उसी इतिहास की परछाई शेनझेन के किलिन विला में दिखी। अंतर केवल इतना था कि इस बार मेज पर ब्रिटेन की जगह चीन था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पहली बार औपचारिक रूप से त्रिपक्षीय प्रारूप में एक साथ बैठे।

यह बैठक एपेक शिखर सम्मेलन से इतर बुलाई गई थी और इसके लिए कूटनीतिक जमीन महीनों से तैयार की जा रही थी। ट्रंप प्रशासन ने पहले ही संकेत दिया था कि दुनिया की तीन सबसे बड़ी परमाणु शक्तियों को हथियारों की होड़ रोकने और उनके इस्तेमाल के खतरे को कम करने के लिए विशेष जिम्मेदारी लेनी होगी। इसलिए वैश्विक मीडिया और थिंक टैंकों में इस बैठक को लेकर असाधारण उत्सुकता थी। 90 मिनट तक चली इस बंद कमरे की बैठक से उम्मीद थी कि शायद यूक्रेन के रक्तरंजित गतिरोध और ईरान के परमाणु संकट पर कोई नई खिड़की खुले।

उम्मीदें पांच, घोषणा चार, सबसे जरूरी युद्ध ही गायब: बैठक से ठीक पहले अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों ने पांच बिंदुओं की एक अपेक्षा सूची तैयार की थी, जिस पर दुनिया की नजरें टिकी थीं। यूक्रेन युद्ध का अंत, क्या ट्रंप पुतिन को युद्धविराम के लिए मना पाएंगे और क्या शी इसमें मध्यस्थ की भूमिका निभाएंगे? ईरान संकट, क्या तीनों महाशक्तियां ईरान को परमाणु हथियार से रोकने और पश्चिम एशिया में टकराव टालने पर साझा रणनीति बनाएंगी? परमाणु निरस्त्रीकरण, क्या हथियारों की संख्या घटाने पर कोई ठोस लक्ष्य तय होगा? होर्मुज जलडमरूमध्य की सुरक्षा, क्या तेल और गैस की वैश्विक आपूर्ति निर्बाध रखने की गारंटी मिलेगी? संयुक्त राष्ट्र और वैश्विक संस्थाओं में सुधार।

लेकिन बैठक के बाद जारी चार सूत्रीय शांति घोषणा ने इन उम्मीदों को लगभग ध्वस्त कर दिया। इस घोषणा में यूक्रेन युद्ध का नाम तक नहीं था, ईरान युद्ध का कोई उल्लेख नहीं था। परमाणु हथियार घटाने का कोई लक्ष्य, कोई समयसीमा, कोई संख्या नहीं थी। केवल एक पंक्ति में कहा गया कि परमाणु जोखिम घटाने और प्रसार रोकने के लिए संवाद जारी रखने पर सहमति बनी है। यह कूटनीति की सबसे पुरानी तरकीब है, जब सहमति न बने तो संवाद जारी रखने पर सहमति जता दी जाए।

जो चार बिंदु घोषणा में शामिल किए गए, वे शांति से अधिक आत्मरक्षा के बिंदु हैं। संयुक्त राष्ट्र में सुधार पर चर्चा चीन और रूस दोनों की पुरानी मांग है, ताकि पश्चिमी दबदबा कम हो। परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पादों का उत्पादन और आपूर्ति बढ़ाना तथा उसके प्रवाह को स्थिर रखना सीधे तौर पर अमेरिका और चीन के आर्थिक हित से जुड़ा है। दोनों नहीं चाहते कि होर्मुज बंद होने से तेल 150 डॉलर पार चला जाए। देशों की



संप्रभुता और सरकारी अधिकारियों को कानूनी छूट के सम्मान की बात रूस के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्याय के अधिकार क्षेत्र के दुरुपयोग से बचने पर जोर भी रूस को ध्यान में रखकर डाला गया है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने पुतिन के खिलाफ वारंट जारी कर रखा है। अमेरिका भी अंतरराष्ट्रीय अदालतों के अधिकार क्षेत्र को लेकर सहज नहीं रहा है।

स्पष्ट है कि यह शांति घोषणा नहीं, बल्कि तीनों महाशक्तियों का एक रक्षात्मक समझौता है। हम एक-दूसरे के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय कानून का इस्तेमाल नहीं करेंगे, एक-दूसरे की सत्ता को चुनौती नहीं देंगे और तेल का कारोबार चलता रहने देंगे। यूक्रेन और ईरान जैसे छोटे देशों के युद्ध इस बड़ी डील के सामने गौण हो गए।

द्विपक्षीय बैठकें पहले, त्रिपक्षीय फोटो बाद में : ट्रंप की सौदागर कूटनीति : इस बैठक की एक और उल्लेखनीय बात इसकी कार्यविधि थी। त्रिपक्षीय बैठक से पहले ट्रंप ने दोनों नेताओं से अलग-अलग मुलाकात की। पुतिन के साथ लगभग 40 मिनट की बैठक हुई, जिसमें क्रेमलिन के सलाहकार यूरी उशाकोव के अनुसार यूक्रेन युद्ध और द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा हुई। पुतिन बैठक के बाद अच्छे मूड में थे। शी के साथ बैठक में ट्रंप ने दो स्पष्ट संदेश दिए, होर्मुज से ऊर्जा आपूर्ति जारी रहनी चाहिए और ईरान को परमाणु हथियार नहीं मिलना चाहिए। साथ ही उन्होंने यूक्रेन युद्ध खत्म कराने में चीन की मदद मांगी।

यह शैली ट्रंप की पहचान बन चुकी है। पहले अलग-अलग मिलकर सौदा करो, फिर सबको एक साथ लाकर दिखाओ कि मैं ही वह व्यक्ति हूं जो सबको एक टेबल पर ला सकता है। लेकिन सौदागर कूटनीति में स्थायी शांति नहीं, केवल अस्थायी डील होती है। इसीलिए त्रिपक्षीय बैठक के बाद कोई संयुक्त प्रेस वार्ता नहीं हुई। तीनों नेता मीडिया के सामने नहीं आए। यह इस बात का संकेत है कि अंदर कोई ठोस सहमति नहीं बनी थी।

काला ब्रीफकेस 'चेगेट' : शांति वार्ता के बीच परमाणु संकेत : बैठक के दौरान ही एक अन्य तस्वीर ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। पुतिन के साथ चल रहे रूसी नौसेना के एक अधिकारी के हाथ में एक काला ब्रीफकेस था। रूसी पत्रकार ने पूछा कि क्या यह परमाणु ब्रीफकेस है, तो अधिकारी ने पुष्टि की कि यह चेगेट है।

चेगेट रूस की परमाणु कमांड एंड कंट्रोल प्रणाली का केंद्रीय हिस्सा है। यह राष्ट्रपति को कहीं से भी परमाणु बलों से सुरक्षित संपर्क की सुविधा देता है। यह वह प्रसिद्ध न्यूक्लियर बटन नहीं है, जिसे दबाते ही मिसाइल चल जाती है, लेकिन यह उस श्रृंखला की पहली कड़ी है। अक्टूबर 2023 में भी चीन यात्रा के दौरान यह ब्रीफकेस दिखा था।

शांति वार्ता के दौरान चेगेट की सार्वजनिक पुष्टि महज संयोग नहीं है। यह एक सोचा-समझा संकेत है। रूस यह बताना चाहता है कि वह संवाद के लिए तैयार है, लेकिन अपनी परमाणु शक्ति के साथ कोई समझौता नहीं करेगा। यह शांति की भाषा में शक्ति का व्याकरण है।

इतिहास बना, पर इतिहास बदला नहीं : इस बैठक को इतिहास में इसलिए याद रखा जाएगा क्योंकि 83 साल बाद तीन परमाणु महाशक्तियां एक साथ बैठीं। लेकिन इसे इसलिए भी याद रखा जाएगा कि इतनी बड़ी बैठक के बाद भी दुनिया के दो सबसे खतरनाक युद्धों पर एक शब्द नहीं कहा गया। यह बैठक हमें एक कठोर सत्य बताती है। आज की विश्व व्यवस्था में बड़ी शक्तियां युद्धों को समाप्त करने के लिए नहीं, बल्कि युद्धों का प्रबंधन करने के लिए मिलती हैं। वे चाहती हैं कि युद्ध एक सीमा में रहे, तेल की कीमत न बढ़े, परमाणु हथियार का इस्तेमाल न हो, लेकिन युद्ध चलता रहे ताकि उनका राजनीतिक लाभ बना रहे।

शेनझेन की यह चार सूत्रीय घोषणा शांति घोषणा कम और यथास्थिति बनाए रखने की घोषणा अधिक है। इसने परमाणु जोखिम पर संवाद जारी रखने का वादा तो किया, पर उस जोखिम को पैदा करने वाले युद्धों पर चुप्पी साध ली। जब तक यह चुप्पी नहीं टूटेगी, तब तक किलिन विला की यह ऐतिहासिक बैठक केवल एक तस्वीर बनकर रह जाएगी, एक ऐसा इतिहास जो बना तो, पर बदला नहीं।

(नईदुनिया संपादकीय डेस्क)

समान कानून की राह में उलझी व्यवस्था, नौ लाख सुझावों के बाद भी फाइल क्यों अटकी

कमेटी बनी, सुनवाई हुई, फिर भी सवाल बाकी, जल्दबाजी में बना कानून समाज को जोड़ता है या तोड़ता है, आदिवासी परंपरा और समानता के बीच संतुलन कैसे बने, मंजूरी की लंबी कतार और पारदर्शिता की कमी अब जरूरत सजा की नहीं, सुधार की

एक बड़े सामाजिक कानून को लेकर जो उत्साह दिखाया गया था, वह अब सवालों में उलझ गया है। दावा किया गया था कि व्यापक जनसुनवाई हुई है, लाखों सुझाव लिए गए हैं, हर जिले में जाकर लोगों से बात की गई है और ऑनलाइन माध्यम से भी विचार मांगे गए हैं। फिर भी, जब फाइल आगे बढ़ी तो उस पर बुनियादी सवाल खड़े हो गए कि प्रक्रिया क्या थी, परंपरागत समुदायों से कैसे बात हुई और क्या संविधान की मूल भावना का पालन हुआ। यह स्थिति बताती है कि केवल संख्या जुटा लेने से कोई प्रक्रिया पूरी नहीं होती। सिस्टम में कहीं न कहीं कोई कमी है, जिसे अब ठीक करना जरूरी हो गया है।

सरकारी व्यवस्था में किसी भी विधेयक को तैयार करने की एक तय प्रक्रिया होती है। पहले एक विशेषज्ञ समूह बनता है, फिर वह समूह समाज के अलग-अलग हिस्सों में जाता है, लोगों से मिलता है, उनकी चिंताओं को समझता है और उसके बाद एक प्रारूप तैयार करता है। इस मामले में भी एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में समूह बनाया गया था और उस समूह ने प्रदेश भर में भ्रमण भी किया था। बताया गया कि लगभग नौ लाख अठावन हजार सुझाव प्राप्त हुए हैं। यह आंकड़ा सुनने में बहुत बड़ा लगता है और यह भरोसा भी देता है कि जनता को शामिल किया गया है, किंतु सबसे बड़ा सवाल यह है कि उन सुझावों का क्या हुआ? क्या उन सुझावों का वर्गीकरण किया गया? क्या उनका विश्लेषण सार्वजनिक किया गया? क्या यह बताया गया कि कितने सुझाव स्वीकार किए गए और कितने अस्वीकार किए गए? यदि यह सब नहीं किया गया तो फिर इतने सुझावों का कोई अर्थ नहीं रह जाता और व्यवस्था पर सवाल उठना स्वाभाविक हो जाता है।

किसी भी समान कानून का सबसे संवेदनशील पहलू उसकी सामाजिक स्वीकार्यता है। हमारे समाज में कई समुदाय ऐसे हैं, जिनकी अपनी परंपरागत व्यवस्था है। उनके विवाह के नियम अलग हैं, उनकी संपत्ति के बंटवारे के नियम अलग हैं, उनकी सामाजिक पंचायतों की अपनी मान्यता है। ऐसे में जब एक समान कानून लाने की बात होती है तो उनके मन में डर पैदा होता है कि कहीं उनकी पहचान खत्म न हो जाए। इस डर को दूर करने के लिए केवल बैठक कर लेना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनके डर को कानून की भाषा में जगह देना जरूरी है। यदि कानून की भाषा में यह स्पष्ट नहीं लिखा होगा कि परंपरागत अधिकारों का सम्मान कैसे होगा, तो लोगों का भरोसा नहीं बनेगा और भरोसे के बिना कोई भी कानून जमीन पर लागू नहीं हो सकता। इसलिए अब जरूरत है सिस्टम में एक ऐसा फिल्टर लगाया जाए, जो हर बड़े कानून को लागू करने से पहले उसकी सामाजिक जांच करे।

व्यवस्था की दूसरी कमी मंजूरी की प्रक्रिया में दिखती है।



एक विधेयक तैयार होता है, फिर वह विधि विभाग के पास जाता है, फिर वहां से उच्च स्तर पर जाता है, फिर वहां से महामहिम के पास जाता है। इस पूरी यात्रा में कई महीने लग जाते हैं और हर स्तर पर फाइल पर नोट लगते हैं, सवाल पूछे जाते हैं, जवाब मांगे जाते हैं। कई बार सवाल और जवाब की यह प्रक्रिया इतनी लंबी हो जाती है कि मूल उद्देश्य ही पीछे छूट जाता है। जनता को लगता है कि कानून अटक गया है और प्रशासन को लगता है कि वह प्रक्रिया पूरी कर रहा है। इस टकराव को खत्म करने के लिए अब एक समयबद्ध और पारदर्शी प्रणाली बनानी होगी। हर सवाल और उसका जवाब सार्वजनिक पोर्टल पर डालना होगा, ताकि लोगों को पता चले कि फाइल कहां अटकी है और क्यों अटकी है। जब तक यह पारदर्शिता नहीं आएगी, तब तक हर बड़ा कानून इसी तरह देरी का शिकार होता रहेगा।

एक और गंभीर पहलू यह है कि अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग कानून बनने से समानता का उद्देश्य ही कमजोर हो जाता है। यदि एक ही विषय पर हर जगह अलग नियम बनने लगे तो नागरिकों में भ्रम पैदा होगा कि किस जगह कौन सा नियम लागू होगा। इससे कानूनी अराजकता भी बढ़ेगी। इसलिए जरूरत है कि कोई भी बड़ा सामाजिक कानून बनाते समय एक राष्ट्रीय फ्रेमवर्क तैयार किया जाए और उस फ्रेमवर्क के भीतर ही स्थानीय जरूरतों के अनुसार बदलाव की गुंजाइश रखी जाए। इससे न तो समानता का सिद्धांत टूटेगा और न ही स्थानीय विविधता का अनादर होगा। यही वह संतुलन है, जो हमारे सिस्टम में अभी नहीं दिख रहा है और जिसे अब बनाना सबसे जरूरी है।

इस पूरे मामले ने यह भी दिखाया है कि प्रशासनिक मशीनरी अभी भी पुराने तरीके से काम कर रही है। फाइलों को एक टेबल से दूसरी टेबल तक भेजना, नोटशीट पर टीप लिखना और फिर महीनों तक इंतजार करना, यह तरीका अब बदलना होगा। अब डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम होना चाहिए, जहां हर फाइल का स्टेटस हर नागरिक देख सके और यह भी देख सके कि किस अधिकारी के पास फाइल कितने दिन से लंबित है। जब जवाबदेही तय होगी, तभी गति आएगी और तभी बड़े सुधार जमीन पर उतर पाएंगे। कानून बनाना केवल विधानसभा में पारित करने तक सीमित नहीं है, बल्कि उसे लागू करने तक की पूरी प्रक्रिया को भी दुरुस्त करना होता है। कानूनों को राजनीतिक लाभ के चश्मे से नहीं देखना चाहिए। कोई भी कानून यदि केवल चुनावी समय को देखकर जल्दबाजी में लाया जाएगा तो वह टिकाऊ नहीं होगा और वह अदालतों में भी चुनौती का शिकार हो जाएगा। इसलिए बेहतर होगा कि इस देरी को एक अवसर के रूप में देखा जाए। इस समय का उपयोग कानून को और बेहतर बनाने में किया जाए। आदिवासी समाज की चिंताओं को स्पष्ट रूप से सुना जाए, महिला संगठनों के सुझावों को शामिल किया जाए और एक ऐसा प्रारूप तैयार किया जाए, जो वास्तव में सबको साथ लेकर चलने वाला हो। सिस्टम को दुरुस्त करने का यही सबसे सही समय है। यदि हमने इस समय सिस्टम को नहीं सुधारा तो भविष्य में हर बड़ा कानून इसी तरह उलझता रहेगा और जनता का भरोसा व्यवस्था से उठता जाएगा।

(नईदुनिया संपादकीय डेस्क)